"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 28] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 13 जुलाई 2012—आषाढ़ 22, शक 1934

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 19 जून 2012

क्रमांक ई-01-02/2012/एक/2.—श्री संतोष कुमार मिश्रा, भा.प्र.से. (टी. एन. : 2000), जिनकी सेवायें भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली की अधिसूचना क्रमांक 13017/15/2011-एआईएस (I) दिनांक 27-02-2012 द्वारा छत्तीसगढ़ शासन को अंत: संवर्गीय प्रतिनियुक्ति पर सौंपी गई है, को तत्काल प्रभाव से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, संचालक, तकनीकी शिक्षा पदेन संयुक्त सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, संचालक, रोजगार प्रशिक्षण व जनशक्ति नियोजन विभाग एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, कौशल उन्नयन मिशन के पद पर पदस्थ किया जाता है. साथ ही उन्हें प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

2. सुश्री शहला निगार, भा.प्र.से. (2001) संचालक, रोजगार एवं प्रशिक्षण एवं पदेन संयुक्त सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग एवं संचालक, तकनीकी शिक्षा एवं पदेन संयुक्त सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक संयुक्त सचिव, वित्त विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.

3. श्री तपेश झा, भा.व.से., प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल की सेवायें उनके पैतृक विभाग (वन विभाग) को तत्काल प्रभाव से वापस लौटायी जाती है.

श्री मिश्रा द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2007 के नियम-9 के तहत् संचालक, तकनीकी शिक्षा के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनिल कुमार, मुख्य सचिव.

विधि एवं विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 जून 2012

क्रमांक 5268/1698/21-ब/छ.ग./2012.—राज्य शासन, श्री खुदीराम पटेल, अधिवक्ता/नोटरी, सरायपाली, जिला महासमुंद (छ.ग.), का नाम नोटरी अधिनियम 1952 की धारा 10 के अन्तर्गत नोटरी रजिस्टर से विलोपित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. एन. त्रिपाठी, उप-सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 जून 2012

क्रमांक एफ 7-23/2012/32.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23-क की उप धारा (2) के अंतर्गत इस विभाग की समसंख्यक सूचना दिनांक 23-05-2012 द्वारा कबीरधाम (कवर्धा) विकास योजना में लोक प्रयोजनार्थ निम्नानुसार भूमि का उपांतरण प्रस्तावित करते हुये दो प्रमुख दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों में लगातार दो दिन प्रकाशित की गई थी :—

कबीरधाम (कवर्धा) विकास योजना में उपांतरण प्रस्ताव

क्र.	ग्राम का नाम	खसरा क्र.	रकबा (हेक्टेयर में)	विकास योजना अंगीकृत प्रस्ताव	अधिनियम की धारा 23-क के तहत उपांतरण के प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	घोठिया प.ह.नं. 19	8/1, 2, 3, 25/4, 27/15, 28/21, 29/21, 30/14, 23	3.091	कृषि	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक (शैक्षणिक)

2. उक्त प्रस्तावित उपांतरण अभ्यूदय स्कूल के स्थापना के प्रयोजन के लिए है.

3. सूचना में उल्लेखित समयावधि में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है.

4. अत: राज्य शासन एतद्द्वारा कबीरधाम (कवर्धा) विकास योजना में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है. उक्त उपांतरण कबीरधाम (कवर्धा) विकास योजना का अंगीकृत भाग होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. बैजेन्द्र कुमार, प्रमुख सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बलौदाबाजार, दिनांक 21 मई 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्र. 1 अ/82/वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलौदाबाजार	बिलाईगढ़	सोनाखान (महकम) प. ह. नं. 29	0.491	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भवन+सड़क), बलौदा-बाजार.	सोनाखान, नवागांव, महकम, बंगलापाली मार्ग निर्माण कार्य हेतु.

बलौदाबाजार, दिनांक 21 मई 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्र. 3 अ/82/वर्ष 2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलौदाबाजार	बिलाईगढ़	सलिहा प. ह. नं. 18	0.688	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भवन+सड़क), बलौदा-बाजार.	बिलाईगढ़, बसना मार्ग निर्माण कार्य हेतु.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश सुकुमार टोप्पो, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 24 अप्रैल 2012

क्रमांक 15/अ-82/2009-10.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मरवाही	खुरपा प. ह. नं. 11	3.908	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, पेण्ड्रा संभाग, पेण्ड्रारोड, जि. बिलासपुर.	धनपुर सिवनी मार्ग के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 25 मई 2012

क्रमांक 1/अ-82/2011-12.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	बरवासन प. ह. नं. 04	2.329	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, मरवाही मुख्यालय पेण्ड्रारोड जि. बिलासपुर.	दर्री व्यपवर्तन योजना की मेडुका माइनर नहर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बलौदाबाजार, दिनांक 21 मई 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 19 अ/82/वर्ष 2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बलौदाबाजार
- (ख) तहसील-बिलाईगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-कुशभांठा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.442 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
14/1	0.014
52/3	0.012
14/2	0.014
53/1, 54/1	0.080
53/2, 54/2	0.080
52/27	0.039
52/28	0.039
52/29	0.039
107/1	0.008
103/5	0.012
74	0.044
51/12, 52/21	0.012
146/8	0.019
75/2	0.032
156/4	0.039
156/5	0.019
156/7	0.019
77/1	0.032
146/3	0.077
153	0.089
152/2	0.012
79/1	0.063
103/2	0.012
114/2	0.016
115/2	0.028
107/3	0.012
107/2	0.036
79/2	0.028
114/3	0.008
105/1, 106/2	0.073
103/1	0.073
147/2	0.024
147/8	0.032
51/13, 52/20	0.012
146/4	0.020
103/3	0.008
51/14, 52/22	0.012
146/5	0.019
146/6	0.019
148/2	0.058
49/7	0.004
148/4	0.059
108/1	0.010
148/5	0.058
148/6	0.059
108/2	0.010
49/19	0.004
52/19	0.006
52/27	0.006
144/1	0.049
140/2, 155, 156/1, 156/3	0.404
140/3	0.081
145/2	0.145
148/1	0.062
148/3	0.063
112/2	0.012
114/1	0.008
105/2, 106/3	0.012
147/3	0.057
147/7	0.049
योग 60	2.442

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- सलिहा बिलारी मार्ग निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानसार,
राजेश सुकुमार टोप्पो, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, प्राधिकृत अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सक्ती, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

सक्ती, दिनांक 2 जुलाई 2012

प्रारूप-घ

(नियम 6 देखिये)

क्रमांक 1694.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) कि धारा-3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को अधिसूचना क्रमांक 701 दिनांक 09-04-2012 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में अथेना छत्तीसगढ़ पावर लिमिटेड परियोजना के लिये ग्राम-देवगांव, तह. मालखरौदा, जिला-जांजगीर-चांपा से परिवहन द्वारा ग्राम-सिंघीतराई, तह. डभरा, जिला-जांजगीर-चांपा तक भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिये अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 20-04-2012 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूची भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा-4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाईप लाईन बिछाने के लिये भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाईप लाईन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि	
				(हेक्टेयर में)	(एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	देवगांव/19	836/1	0.040	0.10
			837	0.012	0.03
			834/1क	0.020	0.05
			834/2ख	0.012	0.03
			838/1	0.040	0.10
			838/2	0.045	0.11
			838/3	0.012	0.03
			842/1	0.040	0.10
			843/3	0.024	0.06
			845/1	0.008	0.02

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			845/2	0.020	0.05
			845/3	0.020	0.05
			845/4	0.020	0.05
			846	0.012	0.03
			321/4	0.028	0.07
			302/1, 302/2	0.024	0.06
			292	0.053	0.13
			304	0.004	0.01
			284/4	0.008	0.02
			284/1	0.016	0.04
			290	0.040	0.10
			291/1	0.020	0.05
			291/2	0.040	0.10
			287/2	0.020	0.05
			287/3	0.012	0.03
			307	0.020	0.05
			308	0.024	0.06
			309	0.008	0.02
			287/1	0.045	0.11
			285/1	0.020	0.05
			285/2	0.008	0.02
			178/1	0.016	0.04
			178/5	0.036	0.09
			179/1	0.040	0.10
			179/3	0.036	0.09
			200, 201	0.036	0.09
			198	0.053	0.13
			199	0.016	0.04
			211/3	0.077	0.19
			209	0.049	0.12
			211/4	0.081	0.20
			211/5	0.008	0.02
			125/1	0.073	0.18
			210	0.040	0.10
			124	0.012	0.03
			213	0.061	0.15
			215/1	0.049	0.12
			215/2	0.020	0.05
			215/6	0.008	0.02
			215/10	0.016	0.04
			215/11	0.016	0.04
			208/1क	0.008	0.02
			214	0.032	0.08
			217	0.016	0.04
			215/23, 218/10	0.008	0.02
			215/24, 216/11	0.024	0.06

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			297/2	0.024	0.06
			125/2	0.032	0.08
			215/8	0.024	0.06
		कुल	**59**	**1.635**	**4.04**

सक्ती, दिनांक 2 जुलाई 2012

प्रारूप-घ

(नियम 6 देखिये)

क्रमांक 1694.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) कि धारा-3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को अधिसूचना क्रमांक 705 दिनांक 09-04-2012 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में अथेना छत्तीसगढ़ पावर लिमिटेड परियोजना के लिये ग्राम-मिरौनी, तह. मालखरौदा, जिला-जांजगीर-चांपा से परिवहन द्वारा ग्राम-सिंघीतराई, तह. डभरा, जिला-जांजगीर-चांपा तक भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिये अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 20-04-2012 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूची भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा-4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाईप लाईन बिछाने के लिये भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाईप लाईन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि	
				(हेक्टेयर में)	(एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मिरौनी/20	796/1	0.016	0.04
			796/2	0.032	0.08
			796/3	0.036	0.09
			809	0.032	0.08
			810	0.036	0.09

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			1140/1	0.032	0.08
			1140/2	0.008	0.02
			1582/1	0.016	0.04
			1582/2	0.012	0.03
			1583/1	0.016	0.04
			1583/2	0.016	0.04
			1584	0.028	0.07
			1585	0.016	0.04
			1581	0.081	0.20
			1587	0.008	0.02
			1554/2	0.008	0.02
			1554/3	0.012	0.03
			1555	0.105	0.26
			1580/1	0.093	0.23
			1558	0.057	0.14
			1559/2क	0.073	0.18
			1559/2ख	0.093	0.23
			1563/1, 1564/1	0.040	0.10
			1563/3, 1564/3	0.024	0.06
			1562	0.036	0.09
			1527	0.049	0.12
			1526/1	0.040	0.10
			1526/2	0.016	0.04
			1528/4	0.032	0.08
			1528/3	0.032	0.08
			1529/4	0.020	0.05
			1529/2	0.024	0.06
			1529/5	0.024	0.06
			1530/2	0.073	0.18
			1524/1	0.028	0.07
			1417/1	0.061	0.15
			1417/2	0.016	0.04
			1422/1	0.016	0.04
			1422/2	0.012	0.03
			1422/3	0.036	0.09
			1422/4	0.024	0.06
			1423/2	0.024	0.06
			1421	0.024	0.06
			1426/2	0.040	0.10
			1426/3	0.049	0.12
			1401/2	0.024	0.06
			1401/5	0.012	0.03
			1390/4	0.008	0.02
			1390/5	0.028	0.07
			1391	0.069	0.17
			1389/1	0.008	0.02

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			1389/3	0.024	0.06
			1380	0.028	0.07
			1381	0.045	0.11
			1382	0.040	0.10
			1383	0.065	0.16
			1387/4	0.024	0.06
			812	0.061	0.15
			814/1	0.045	0.11
			814/2	0.024	0.06
			814/4	0.036	0.09
			927	0.020	0.05
			928/1	0.036	0.09
			928/3	0.028	0.07
			929/1	0.036	0.09
			930/1	0.028	0.07
			822/1	0.016	0.04
			941/1क	0.008	0.02
			941/1ख	0.032	0.08
			942/1	0.032	0.08
			943	0.024	0.06
			946/1	0.024	0.06
			946/2	0.016	0.04
			945/1	0.028	0.07
			1673	0.024	0.06
			1674/1	0.016	0.04
			1675	0.016	0.04
			1676/1	0.020	0.05
			1677/1	0.040	0.10
			1681	0.036	0.09
			1683/1	0.008	0.02
			1683/2	0.004	0.01
			1683/3	0.004	0.01
			1684/3	0.020	0.05
			1685	0.032	0.08
			1669	0.020	0.05
			1635/1	0.040	0.10
			1635/2	0.040	0.10
			1635/3	0.036	0.09
			1634/2	0.016	0.04
			1634/1	0.012	0.03
			1631, 1632	0.040	0.10
			1614, 1615	0.040	0.10
			1613	0.036	0.09
			1612	0.036	0.09
			1611	0.008	0.02
			1610/2	0.008	0.02

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			1610/4	0.073	0.18
			1623/1625	0.020	0.05
			1133/2	0.040	0.10
			1133/1	0.036	0.09
			1134/1	0.028	0.07
			1134/2	0.028	0.07
			1135, 1336	0.016	0.04
			1377/1	0.008	0.02
			1137/5	0.045	0.11
			1138	0.008	0.02
			1599/1	0.016	0.04
			1407/5, 1408/5, 1409/5	0.101	0.25
			813/1	0.081	0.20
			1407/1, 1408/1, 1409/1	0.028	0.07
			806/1	0.040	0.10
			806/2	0.032	0.08
			1686/1	0.004	0.01
			1123	0.020	0.05
			1124/3	0.032	0.08
		कुल	116	3.666	9.06

सक्ती, दिनांक 2 जुलाई 2012

प्रारूप-घ

(नियम 6 देखिये)

क्रमांक 1694.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) कि धारा-3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को अधिसूचना क्रमांक 697 दिनांक 09-04-2012 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में अथेना छत्तीसगढ़ पावर लिमिटेड परियोजना के लिये ग्राम-मरघट्टी, तह. मालखरौदा, जिला-जांजगीर-चांपा से परिवहन द्वारा ग्राम-सिंघीतराई, तह. डभरा, जिला-जांजगीर-चांपा तक भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिये अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 20-04-2012 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूची भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा-4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाईप लाईन बिछाने के लिये भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाईप लाईन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि	
				(हेक्टेयर में)	(एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मरघट्टी/20	162/2	0.049	0.12
			162/4	0.061	0.15
			161	0.101	0.25
			166/2	0.045	0.11
			167/1	0.016	0.04
			167/4	0.028	0.07
			168/5	0.045	0.11
			169/5	0.081	0.20
			171	0.121	0.30
			172/5, 174/4	0.085	0.21
			172/3, 174/3	0.053	0.13
			172/2, 174/2	0.053	0.13
			172/1, 174/1	0.069	0.17
			117/4	0.049	0.12
			103/1, 103/2	0.121	0.30
			180/1	0.045	0.11
			181/2	0.045	0.11
			113/1	0.049	0.12
			113/2	0.073	0.18
			102/1	0.004	0.01
			102/3	0.008	0.02
			108	0.057	0.14
			109/1, 12/1	0.057	0.14
			109/2	0.032	0.08
			85/5क	0.016	0.04
			85/5ख	0.016	0.04
			85/4	0.040	0.10
			81/6	0.057	0.14
			81/7	0.004	0.01
			81/1, 81/4	0.097	0.24
			81/2	0.040	0.10
			81/8	0.028	0.07
			77/1	0.020	0.05
			76/2	0.049	0.12
			55	0.089	0.22
			54	0.057	0.14
			496/1	0.036	0.09
			496/2	0.053	0.13

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मरघट्टी/20	74	0.036	0.09
			73	0.045	0.11
			56/2	0.101	0.25
			498	0.101	0.25
			511/1	0.081	0.20
			513	0.077	0.19
			518/1, 518/2, 518/3	0.077	0.19
			518/4, 518/5, 518/8, 518/9	0.081	0.20
			518/10, 518/11, 518/12	0.077	0.19
			518/6, 518/7	0.077	0.19
			520/1	0.024	0.06
			521/1	0.040	0.10
			521/2	0.040	0.10
			522/1क	0.045	0.11
			522/3	0.097	0.24
			523/1	0.138	0.34
			523/2	0.146	0.36
			524	0.040	0.10
			749, 748, 750/5	0.125	0.31
			750/2	0.045	0.11
			747/1, 750/6	0.024	0.06
			744/2, 745, 746	0.146	0.36
			640/3	0.069	0.17
			644/1	0.219	0.54
			643/1	0.061	0.15
			84	0.028	0.07
			112	0.061	0.15
			137/1	0.032	0.08
			138	0.045	0.11
		कुल	**67**	**4.124**	**10.19**

समीर बिस्नोई,
सक्षम प्राधिकारी एवं
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)